न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
84/2024	14.06.2024	24.10.2025

1. देवनारायण पुत्र भापुप्रकाश गुर्जर जाति गुर्जर निवासी बन्दडा की ढाणी, धाउपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1. भानुप्रकाश पुत्र रामधन
2. गंगाधर पुत्र भानुप्रकाश
3. मीरा देवी पत्नि भानुप्रकाश
   समस्त जाति गुर्जर निवासी बन्दडा की ढाणी ग्राम धाउपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
5. उप पंजीयक जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री किशन लाल :– वकील वादी।

दावा बाबत् घोषणा खातेदार एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से एडवोकेट श्री किशन लाल ने यह वाद इन कथनो के आधार पर पेश किया है कि वादग्रस्त भूमि वादी के दादा जी रामधन पुत्र कालूराम गुर्जर की पैतृक भूमियों खसरा नम्बर 214 रकबा 2.2500है0, खसरा नम्बर 215 रकबा 0.6800है0, खसरा नम्बर 217 रकबा 0.8700है0, खसरा नम्बर 218 रकबा 0.2500है0, खसरा नम्बर 219 रकबा 0.1000है0, खसरा नम्बर 220 रकबा 2.8200है0 किता 6 कुल रकबा 6.9700है0 व खसरा नम्बर 211 रकबा 0.4700है0 व खसरा नम्बर 25 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 26 रकबा 4.8800है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.8900है0 एवं खसरा नम्बर 219/322, 221, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 255/318, 263, 264, 27, 272, 273, 28, 29, 292, 293, 294, 30, 306, 307, 31, 32 कुल किता 25 कुल रकबा 8.9500है0 भूमि स्थित ग्राम धाउपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। जो कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 3 के नाम दर्ज स्थित है। वादी की माता श्रीमति कमली देवी का देहान्त हो चुका है जिसके एक मात्र वारीस वादी ही है तथा वादी के पिता ने वादी की माता के देहान्त के बाद पुर्नविवाह मीरा देवी से कर लिया है जिसके एक पुत्र सन्तान गंगाधर है। वादी के पिताजी ने जब दुसरी शादी की थी तब से वादी की सौतेली माता मीरा देवी वादी के साथ आये दिन मारपीट करने लग गयी जिसके कारण वादी अपने मामा के घर (टाकरडा) में रहकर पलपोष कर बडा हुआ है। प्रतिवादी सं0 2, 3 आये दिन फोन या अन्य जगह मिलने पर वादी के साथ गाली गलोच करने रहते है तथा प्रतिवादी सं0 2, 3 प्रतिवादी सं0 1 को बहला फुशला कर व उसकी

मानसिक स्थिति कमजोर होने का फायदा उठाकर उसको भी अपने साथ मिलाकर उक्त भूमियों को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है तथा वादी को वादी के हक अधिकारों से एवं विरासती हिस्से से हिस्सा देना नही चाहते है तथा वादी को उक्त पैतृक सम्पत्तियों से बेदखल करना चाहते है। प्रतिवादी सं0 1 ने गत दिनों में प्रतिवादी संख्या 3 के नाम जयपुर में सब रजिस्टार कार्यालय में उपरोक्त वर्णित भूमियों को उपहार पत्र करवा दिया है जो कि सरासर गलत है एवं वादी के अधिकारों के विरूद्व है और वादी के हक अधिकारों के विपरित है। अब प्रतिवादी सं0 3 भी उक्त खातेदारी भूमि को अन्य दीगर लोगों को बैचान हस्तान्तरण करने पर आमादा हो रही है यदि उक्त भूमि को बैचान हो जाता है तो आगे काफी वाद विवाद बढने की सम्भावना है। जिस कारण वादी को अपने हिस्से की घोषणा करवाना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रतिवादी सं0 3 के नाम किया गया उपहार पत्र वादी के अधिकारों के विरूद्व शून्य व बेअसर है तथा प्रतिवादी सं0 3 ने प्रतिवादी सं0 1 की मानसिक स्थिति कमजोर होने व बिमार होने का नाजायज लाभ उठाकर चुपके चुपके प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज सम्पूर्ण भूमियों को अपने नाम करवा लिया है जो वादी के अधिकारों के विरूद्व शून्य एवं बेअसर है जिस कारण वादी को उक्त भूमियों में अपने हिस्से की घोषणा करवाने का पूर्ण अधिकार है। प्रतिवादीगण उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा हो रहे है जबकि उक्त भूमि में वादी भी कॉपासनर होने से हिस्सा बराबर–बराबर का अधिकारी है तथा प्रतिवादी सं0 3 के नाम दर्ज भूमियों में से वादी को हिस्सा 1/3 भाग व प्रतिवादी सं0 2 को 1/3 एवं प्रतिवादी सं0 3 को हिस्सा 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का वादी अधिकारी है क्योंकि उक्त भूमि संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि रही है तथा उक्त भूमि पीढी दर पीढी विरासत में चली आ रही है इसलिए वादी संयुक्त हिन्दू परिवार की भूमि में हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत अपना हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है। अतः उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 214 रकबा 2.2500है0, खसरा नम्बर 215 रकबा 0.6800है0, खसरा नम्बर 217 रकबा 0.8700है0, खसरा नम्बर 218 रकबा 0.2500है0, खसरा नम्बर 219 रकबा 0.1000है0, खसरा नम्बर 220 रकबा 2.8200है0 किता 6 कुल रकबा 6.9700है0 व खसरा नम्बर 211 रकबा 0.4700है0 व खसरा नम्बर 25 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 26 रकबा 4.8800है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.8900है0 एवं खसरा नम्बर 219/322, 221, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 255/318, 263, 264, 27, 272, 273, 28, 29, 292, 293, 294, 30, 306, 307, 31, 32 कुल किता 25 कुल रकबा 8.9500है0 भूमि स्थित ग्राम धाउपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान में प्रतिवादी सं0 3 के नाम दर्ज भूमियां मे वादी का पैतृक हिस्सा होने से वादी को हिस्सा 1/3 भाग व प्रतिवादी सं0 2 को 1/3 भाग व प्रतिवादी सं0 3 को हिस्सा 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में नाम अंकित किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें तथा प्रतिवादी सं0 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वह वादी के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करे, किसी प्रकार से बैचान हस्तान्तकरण नही करे, वादी के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे, निर्माण कार्य नही करें, मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें उक्त कार्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करे ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट इत्यादि से करवायें।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नही। प्रतिवादीगणों को बार–बार आवाज लगवाई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के विरूद्ध दिनांक 02.12.2024 को एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

Scanned with OKEN Scanner

बहस वकील वादी की एक तरफा सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। बहस का मनन करने व पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम धाउपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर के आराजी खसरा नम्बर 214 रकबा 2.2500है0, खसरा नम्बर 215 रकबा 0.6800है0, खसरा नम्बर 217 रकबा 0.8700है0, खसरा नम्बर 218 रकबा 0.2500है0, खसरा नम्बर 219 रकबा 0.1000है0, खसरा नम्बर 220 रकबा 2.8200है0 किता 6 कुल रकबा 6.9700है0 व खसरा नम्बर 211 रकबा 0.4700है0 व खसरा नम्बर 25 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 26 रकबा 4.8800है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.8900है0 एवं खसरा नम्बर 219/322, 221, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 255/318, 263, 264, 27, 272, 273, 28, 29, 292, 293, 294, 30, 306, 307, 31, 32 कुल किता 25 कुल रकबा 8.9500है0 में वादी की माता श्रीमति कमली देवी का देहान्त हो चुका है जिसके एक मात्र वारीस वादी ही है तथा वादी के पिता ने वादी की माता के देहान्त के बाद पुर्नविवाह मीरा देवी से कर लिया है जिसके एक पुत्र सन्तान गंगाधर है। वादी के पिताजी ने जब दुसरी शादी की थी तब से वादी की सौतेली माता मीरा देवी वादी के साथ आये दिन मारपीट करने लग गयी जिसके कारण वादी अपने मामा के घर (टाकरडा) में रहकर पलपोष कर बडा हुआ है। प्रतिवादी सं0 2, 3 आये दिन फोन या अन्य जगह मिलने पर वादी के साथ गाली गलोच करने रहते है तथा प्रतिवादी सं0 2, 3 प्रतिवादी सं0 1 को बहला फुशला कर व उसकी मानसिक स्थिति कमजोर होने का फायदा उठाकर उसको भी अपने साथ मिलाकर उक्त भूमियों को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है तथा वादी को वादी के हक अधिकारों से एवं विरासती हिस्से से हिस्सा देना नही चाहते है तथा वादी को उक्त पैतृक सम्पत्तियों से बेदखल करना चाहते है। प्रतिवादी सं0 1 ने गत दिनों में प्रतिवादी संख्या 3 के नाम जयपुर में सब रजिस्टार कार्यालय में उपरोक्त वर्णित भूमियों को उपहार पत्र करवा दिया है जो कि सरासर गलत है एवं वादी के अधिकारों के विरूद्व है और वादी के हक अधिकारों के विपरित है। अब प्रतिवादी सं0 3 भी उक्त खातेदारी भूमि को अन्य दीगर लोगों को बैचान हस्तान्तरण करने पर आमादा हो रही है यदि उक्त भूमि को बैचान हो जाता है तो आगे काफी वाद विवाद बढने की सम्भावना है। जिस कारण वादी को अपने हिस्से की घोषणा करवाना आवश्यक हुआ है। जबकि उक्त भूमि में वादी भी कॉपासनर होने से हिस्सा बराबर–बराबर का अधिकारी है तथा प्रतिवादी सं0 3 के नाम दर्ज भूमियों में से वादी को हिस्सा 1/3 भाग व प्रतिवादी सं0 2 को 1/3 एवं प्रतिवादी सं0 3 को हिस्सा 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का वादी अधिकारी है क्योंकि उक्त भूमि संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि रही है तथा उक्त भूमि पीढी दर पीढी विरासत में चली आ रही है इसलिए वादी संयुक्त हिन्दू परिवार की भूमि में हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत अपना हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी सं0 3 एवं प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से में से वादी हिस्सा 1/3 पाने का अधिकारी है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाने योग्य है।

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिया जाता कि वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम धाउपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर के आराजी खसरा नम्बर 214 रकबा 2.2500है0, खसरा नम्बर 215 रकबा 0.6800है0, खसरा नम्बर 217 रकबा 0.8700है0, खसरा नम्बर 218 रकबा 0.2500है0, खसरा नम्बर 219 रकबा 0.1000है0, खसरा नम्बर 220 रकबा 2.8200है0 किता 6 कुल रकबा 6.9700है0 व खसरा नम्बर 211 रकबा 0.4700है0 व खसरा नम्बर 25 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 26 रकबा 4.8800है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.8900है0 में प्रतिवादी सं0 3 के हिस्से में से हिस्सा 1/3 वादी के नाम हिस्सा का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जाता है तथा एवं खसरा नम्बर 219/322, 221, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 255/318, 263, 264, 27, 272, 273, 28, 29, 292, 293, 294, 30, 306, 307, 31, 32 कुल किता 25 कुल रकबा 8.9500है0 में प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से में से हिस्सा 1/3 वादी के नाम हिस्सा का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जाता है तथा बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। साथ ही वादग्रस्त भूमि में वादी को उक्त हिस्से की भूमि से बेदखल नही करे, ना ही भूमि को बैचान हस्तान्तकरण दीगर के नाम करवाये तथा उक्त समस्त कार्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करें तथा अपने एजेन्ट सर्वेन्ट; अधिनस्थ आदि से भी नही करावें। निर्णयानुसार डिक्री जारी हो एवं पालनार्थ तहसीलदार को पत्र जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2025 को सरे इजलाश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इबताई

(ओ0 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर

देवनारायण बनाम भानुप्रकाश वगै0

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0एक्ट

मु0 नं0 :— 84/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर0 ए0 एस0 हाजिरी श्री किशनलाल एडवोकेट वादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्तकारी अधि0 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि स्थित ग्राम धाउपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर के आराजी खसरा नम्बर 214 रकबा 2.2500है0, खसरा नम्बर 215 रकबा 0.6800है0, खसरा नम्बर 217 रकबा 0.8700है0, खसरा नम्बर 218 रकबा 0.2500है0, खसरा नम्बर 219 रकबा 0.1000है0, खसरा नम्बर 220 रकबा 2.8200है0 किता 6 कुल रकबा 6.9700है0 व खसरा नम्बर 211 रकबा 0.4700है0 व खसरा नम्बर 25 रकबा 0.0100है0, खसरा नम्बर 26 रकबा 4.8800है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.8900है0 में प्रतिवादी सं0 3 के हिस्से में से हिस्सा 1/3 वादी के नाम हिस्सा का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जाता है तथा एवं खसरा नम्बर 219/322, 221, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 255/318, 263, 264, 27, 272, 273, 28, 29, 292, 293, 294, 30, 306, 307, 31, 32 कुल किता 25 कुल रकबा 8.9500है0 में प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से में से हिस्सा 1/3 वादी के नाम हिस्सा का खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जाता है तथा बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। साथ ही वादग्रस्त भूमि में वादी को उक्त हिस्से की भूमि से बेदखल नही करे, ना ही भूमि को बैचान हस्तान्तकरण दीगर के नाम करवाये तथा उक्त समस्त कार्य ना तो प्रतिवादी स्वयं करे तथा अपने एजेन्ट सर्वेन्ट, अधिनस्थ आदि से भी नहीं करावे। निर्णयानुसार डिक्री जारी हो एवं पालनार्थ तहसीलदार को पत्र जारी हो।

डिक्री दिनांक 24.10.2025 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय हुक्मनामा			बबत्हजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

Scanned with OKEN Scanner